

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 05/2017
जी.सी.एम.एस. : 2017/00561

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये(भूमिधारी), तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली		1. मोहनलाल पुत्र रूपाराम, रामाराम पुत्र रूपाराम जाति देवासी निवासी -साण्डेराव तह-सुमेरपुर 2. दिलीप पुत्र पुखराज जाति-ओसवाल जैन निवासी-खौड तह-पाली हाल पूना महाराष्ट्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)
नियम 1970

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 15/03/21

प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर अप्रार्थी मोहनलाल पुत्र रूपाराम, रामाराम पुत्र रूपाराम जाति देवासी निवासी साण्डेराव के पक्ष में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप 3 विभाग/क्रमांक प.1(175) राज./ग्रुप3/08 दिनांक 26.06.2008 के द्वारा ग्राम साण्डेराव प.मण्डल साण्डेराव चक 11 के खसरा नम्बर 1812/11 रकबा 1.28 है. अर्थात 8 बीघा बारानी द्वितीय के नियमितकरण के उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश किया है। जिसका बेचान अप्रार्थी 1 द्वारा 2 के पक्ष में कर दिया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र विधिक प्राथमिक आपत्ति बाबत पेश कर निवेदन किया कि यह प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है। जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। क्योंकि नियम 14(4) के तहत उपखण्ड अधिकारी व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन ही प्रश्नगत किये जाने का प्रावधान है जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन नियमन आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बेचान किया गया है चूंकि राज्य सरकार जिला कलेक्टर के अधीन नहीं है ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियमन आदेश के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया यह सही है कि जैर अपील आदेश राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप.3) विभाग के आदेश क्रमांक प1(175) राज. ग्रुप3/08 जयपुर दिनांक 26.06.08 को जारी कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 8 बीघा भूमि के नियमन के आदेश जारी किए गए थे। जबकि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उक्त आदेश को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रश्नगत किया गया है। इस बाबत पृथम दृष्टया तो नियमन किये जाने के आदेश को राज. कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रश्नगत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि प्रार्थना पत्र में भूमि का आवंटन नहीं होकर अप्रार्थी के हक में नियमन किया गया है द्वितीय यह कि जैर आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना उल्लेखित है राज्य सरकार द्वारा किये गये नियमन आदेश की सुनवाई का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

क्रमशः.....2

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व विविध :: 05/2017 "बअनवान तहसीलदार सुमेरपुर बनाम मोहनलाल वगैरा"

::2::

यद्यपि राज्य सरकार के पत्रांक 7(175) राज. 3/08 पार्ट जयपुर दिनांक 15.11.2019 के अनुसार ' जैर अपील आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा उक्त पत्रावली राजसमंद जिले से सम्बंधित है 'उल्लेखित किया है यह देखते हुए स्पष्ट है कि जमाबंदी में इन्द्राज गलत रूप से हुआ है, तथा उसे हटाया जाना आवश्यक है, तथापि तहसीलदार सुमेरपुर के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के मध्य नजर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार विहीन तथा नियमों से परे होने के कारण निरस्त किया जाता है। क्योंकि उक्त प्रकरण में बिना सक्षम आदेश के गलत रूप से म्युटेशन खोला गया है, जो कि राज्य सरकार के पत्र से भी स्पष्ट है, अतः तहसीलदार सुमेरपुर नियमानुसार म्युटेशन अपील सक्षम न्यायालय में पेश कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है निर्णय आज दिनांक 15/03/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



ansh
(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली